राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 21 (9)शि–1/प्राशि/2009 जयपुर, दिनांक : 29 मार्च, 2011

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : –

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

IndiaCode

भाग – 1
प्रारम्भिक

2. परिभाषाएं.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''अधिनियम'' से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) अभिप्रेत है;

(ii) ''आंगनबाड़ी'' से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित कोई आंगनबाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;

(iii) ''ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी'' से किसी ब्लाक में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(iv) ''निःशक्त बालक'' से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के खण्ड (न) के अधीन 'निःशक्त व्यक्ति' की परिभाषा के अधीन आने वाला कोई बालक अभिप्रेत है;

(v) ''आयुक्त/निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान'' से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् का प्रमुख अभिप्रेत है;

(vi) ''निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा'' से प्रारम्भिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(vii) ''जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी'' से किसी जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(viii) ''जिला'' से राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ix) ''कार्यकारी समिति'' से किसी विद्यालय के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्ध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है;

(x) ''प्राथमिक विद्यालय'' से कोई ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता है;

(xi) ''छात्र संचित अभिलेख'' से विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;

(xii) ''राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अभिकरण'' से राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(xiii) ''विद्यालय प्रबन्ध समिति'' से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(xiv) ''विद्यालय मान–चित्रण'' से सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है;

(xv) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(xvi) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(xvii) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(xviii) ''उच्च प्राथमिक विद्यालय'' से कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये समस्त अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट है।

IndiaCode

अध्याय – 2
विद्यालय प्रबन्ध समिति

3. विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना और कृत्य.– (1) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : –

(क) विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता–पिता/संरक्षक ;

(ख) विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, से निर्वाचित व्यक्ति; और

(घ) स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम/वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य।

(3) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव होंगे।

(4) उक्त समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) उक्त समिति, धारा 21 की उप धारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् : –

(क) अधिनियम में यथा–प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता–पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप से संसूचित करना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) और (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) धारा 27 की अनुपालना को मानीटर करना;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरन्तर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाये रखने को मॉनीटर करना;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इन्कार किये जाने और धारा 3 की उप धारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबन्धों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानीटर करना और प्रारम्भिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालय में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(6) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निवर्हन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जायेगी।

(7) उप–नियम (5) के खण्ड (ञ) में और उप–नियम (6) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उनके तैयार किये जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विद्यालय प्रबन्ध समिति की कार्यकारी समिति. – (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : –

(क) विद्यालय का प्रधानाध्यापक;

(ख) विद्यालय से एक अध्यापक, अधिमान्यतः एक महिला अध्यापक;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, का निर्वाचित व्यक्ति;

(घ) छात्रों के माता–पिताओं/संरक्षकों में से विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित ग्यारह सदस्य;

(ङ) कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक स्थानीय शिक्षाविद् या विद्यालय का छात्र :

IndiaCode

परन्तु कार्यकारी समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यकारी समिति माता–पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(3) कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी। कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/3 होगी। बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और विद्यालय प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में रखे जायेंगे।

5. विद्यालय विकास योजना तैयार करना. – (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमे अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् : –

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापक/अनुदेशक भी है, की संख्या की अपेक्षा;

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अन्तर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों जैसी बालकों की हकदारी और अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाना है, अंत से पूर्व ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग – 3
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

6 विशेष प्रशिक्षण. –(1) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्ध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात् : –

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगायी गयी कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जायेगा;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जायेगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग – 4
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं.–(1) आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्न होंगी : –

(क) कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।

(ख) कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।

(2) जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 6 से 8 तक को सम्मिलित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यमान विद्यालयों को प्रोन्नत करेगा और ऐसे विद्यालयों के सम्बन्ध में, जो कक्षा 6 से प्रारम्भ होते हैं, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जहां कहीं अपेक्षित हो, कक्षा 1 से 5 तक को सम्मिलित करने का प्रयास करेगा।

(3) कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और छितरायी हुयी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है और 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं, कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा, और किसी ऐसे आवास में, जहां कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय स्थापित करेगा।

(4) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा–परिभाषित छोटे गाँवों (ढ़ाणियों) के बच्चों के लिए जहाँ ऊपर उप–नियम (1) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, वहां राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उप–नियम (1) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के शिथिलीकरण में निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसे पर्याप्त इंतजाम करेगा।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास एक से अधिक विद्यालय स्थापित कर सकेगा।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) की पहचान करेगा, जहाँ बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुँचने से रोकती है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन इंतजाम करने का प्रयास करेगा।

(8) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुँच सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण प्रतिबाधित न हो।

indiaCode

8. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वं .—(1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, और धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में उपबंधित किये गये अनुसार निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और सहायक सामग्रियों के लिए हकदार होगा :

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण : उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक और धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आसपास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग सम्बन्धी दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन न हो।

(4) धारा 8 के खण्ड (ग) और धारा 9 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाये या उसके विरूद्ध विभेद न किया जाये।

9. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना .—(1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जायेगा और उसका उपयोग धारा 9 के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

(4) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : –

(क) नाम, लिंग, जन्म प्रमाण–पत्र की संख्यांक के साथ जन्म की तारीख, जन्म का स्थान;
(ख) माता–पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;
(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र, जहाँ बालक (6 वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है;
(घ) प्राथमिक विद्यालय जहाँ बालक को प्रवेश दिया जाता है;
(ङ) बालक का वर्तमान पता;
(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए), और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण;
(छ) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (ङ) के अर्थ में कमजोर वर्ग का है;
(ज) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ में किसी अलाभप्रद समूह का है;
(झ) क्या बालक (क) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या;
(ख) आयु अनुसार समुचित प्रवेश; और
(ग) निःशक्तता,
के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी अधिकारिता के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये हैं।

भाग – 5
विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

10. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश.– (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक् किया जायेगा और न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेंगी।

IndiaCode

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक का पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद्/यथास्थिति, नगर निगम, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी :

परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गाँव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जायेगी।

(4) धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार बालक का प्रवेश लॉट के ड्रा द्वारा किया जायेगा या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता/संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा।

(6) ऐसे विद्यालयों के मामले में, जिन्हें अनन्य रूप से बालकों या बालिकाओं के लिए स्थापित किया गया है, प्रवेश धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अनुसार केवल बालकों या, यथास्थिति, बालिकाओं के लिए मंजूर किया जायेगा।

(7) सहायताप्राप्त और गैर–सहायताप्राप्त विद्यालयों और धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिये गये छात्रों के कक्षावार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान/सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे। यदि विद्यालय की वेबसाइट है तो ऐसे नाम विद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

11. राज्य सरकार द्वारा प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति.– (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों, और केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर, राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रति–बालक–व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति–बालक–व्यय का अवधारण करने के लिए धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य द्वारा उपगत प्रति–बालक–व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष संगणित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। गैर–सहायताप्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में

IndiaCode

नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। समिति इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् तीन मास के भीतर और, तत्पश्चात् आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए प्रति–बालक–व्यय के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष मई मास में बैठक करेगी।

(4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों में धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालकों के सम्बन्ध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(6) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रेल मास मे प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

12. आयु के सबूत के लिए दस्तावेज.–जहाँ कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा : –

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख;
(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख; और
(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

13. प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि.– (1) प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा–अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

14. विद्यालयों को मान्यता.– केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जायेगा या कृत्य नहीं करेगा।

15. विद्यालय की मान्यता वापस लेना.–राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता, मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी भी समय, वापस ली जा सकेगी।

भाग – 6
अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हता. – (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों पर लागू होंगी।

(2) किसी भी विद्यालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति की अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती।

17. न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण. – (1) राज्य सरकार धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों के लिए अनुसूची में मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगी।

(2) यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, या धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा–अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उप–नियम (1) के अधीन प्राक्कलित अध्यापकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगी।

(3) किसी विद्यालय के लिए अध्यापक की कोई नियुक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जिसके पास धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उप नियम (2) मे निर्दिष्ट शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जायेगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना. – (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायेगी कि धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट विद्यालयों और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) के अधीन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट विद्यालयों में के सभी अध्यापक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, अधिनियम के प्रारंभ से पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर लें।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) और (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या धारा 2 के खण्ड (ढ) के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन नहीं है और उनके द्वारा प्रबंधित नहीं है, में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिसके पास अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के प्रारंभ से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अध्यापन शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

19. अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें. – अध्यापकों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तत्समय प्रवृत्त सुसंगत सेवा नियमों अर्थात् राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 और ,यथास्थिति, राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अनुसार होंगी।

20. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्य. – (1) धारा 24 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अनुपालन में और धारा 29 की उप–धारा (2) के खण्ड (ज) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के क्रम में, अध्यापक एक फाइल रखेगा, जिसमें प्रत्येक बालक के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा, जो धारा 30 की उप–धारा (2) के विनिर्दिष्ट शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र देने का आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् : –

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना; और
(ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना।

21. प्रत्येक विद्यालय में शिष्य–अध्यापक अनुपात बनाए रखना. – (1) किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेगी :

परन्तु राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जायेगी।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता निम्नलिखित रीति से पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में गत संकलित मूल्यांकन में वर्णित छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जायेगी : –

(क) विद्यालय स्तर पर, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट शिष्य–अध्यापक अनुपात संबंधी अधिनियम के सन्नियमों के अनुरूप तैयार की जायेगी और संबंधित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष 10 अप्रेल तक भेजी जायेगी।

(ख) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में ब्लाक में के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट, ब्लाक में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के पदस्थापन के सुव्यस्थीकरण के लिए आधार तैयार करेगी। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिवर्ष 10 मई तक, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिनियम में विहित सन्नियमों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/कमी की रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जिले के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट, जिले के एक ब्लाक से अन्य ब्लाक में अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए आधार तैयार करेगी। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिवर्ष 20 मई तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को अधिनियम में विहित सन्नियमों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/कमी की रिपोर्ट भेजेगा।

(घ) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्य की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा और अध्यापकों के अधिशेष/कमी, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करेगा और प्रतिवर्ष 15 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति, धारा 25 की उप–धारा (2) के उपबन्धों का अतिक्रमण करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए व्यक्तिशः दायी होगा।

भाग – 7
पाठ्यचर्या और प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा होना

22. शैक्षणिक प्राधिकारी. – (1) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगा।

(2) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय, शैक्षणिक प्राधिकारी, –

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा;

(ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा; और

(ग) निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा।

(3) शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर सम्पूर्ण विद्यालय क्वालिटी निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

23. प्रमाण–पत्र प्रदान करना. – (1) प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण–पत्र, प्रारम्भिक शिक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जायेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र,–

(क) प्रमाणित करेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(ख) इसमें बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा और वह विहित पाठ्यक्रम के बाहर के क्रियाकलापों के क्षेत्रों में बालक की उपलब्धियों को भी विनिर्दिष्ट करेगा और उसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल इत्यादि सम्मिलित कर सकेगा।

भाग – 8
शिकायत निवारण

24. अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तन्त्र. – (1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, विद्यालयों में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए, निम्नलिखित से मिलकर बनी एक ब्लाक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी : –

(i)	ब्लाक विकास अधिकारी	––	अध्यक्ष
(ii)	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	––	सदस्य
(iii)	अपर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	––	सदस्य–सचिव

India Code

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य–सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। कोई अध्यापक, जो ब्लाक स्तरीय समिति के विनिश्चिय से सन्तुष्ट नहीं है, जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपील कर सकेगा।

(4) जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : –

(i)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	––	अध्यक्ष
(ii)	जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	––	सदस्य
(iii)	अपर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	––	सदस्य–सचिव

(5) ब्लाक और जिला स्तरीय समितियां आवश्यकतानुसार किन्तु प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक करेंगी।

(6) समिति का सदस्य–सचिव समिति के विनिश्चय से सम्बन्धित अध्यापक को संसूचित करेगा।

(7) प्रत्येक सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्वयं अपना तन्त्र विकसित करेगा।

IndiaCode

25. बालकों/माता–पिता की शिकायत का निवारण. – (1) अधिनियम के उपबन्धों के अननुपालन या अतिक्रमण से उत्पन्न कोई शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जायेगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति, बालक/संरक्षक/माता–पिता से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगी।

(3) विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकों में शिकायत में उठाये गये विवाद्यकों पर विचार करेगा और उन पर समुचित कार्रवाई करेगा :

परन्तु मामले की गंभीरता पर निर्भर रहते हुए आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(4) आवेदक को भी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बुलाया जायेगा और उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जायेगी।

(5) विद्यालय प्रबंध समिति उस व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद प्राप्त हुआ है, को भी बुला सकेगी और व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगी।

(6) दोनों पक्षकारों की समुचित सुनवाई करने के पश्चात्, विद्यालय प्रबन्ध समिति यदि उसके स्तर पर कार्रवाई की जानी है तो समुचित कार्रवाई करेगी अन्यथा मामले को संबंधित समुचित प्राधिकारी को आगे और समुचित कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(7) समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और तीन मास से अनधिक की कालावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा।

(8) यदि आवेदक, उपर्युक्त उप–नियम (6) और (7) में यथा–वर्णित की गयी कार्रवाई से सन्तुष्ट नहीं है तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जा सकेगा।

भाग – 9
बाल अधिकारों का संरक्षण

26. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन.– राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी।

27. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति.–राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हैल्प लाइन की स्थापना कर सकेगा जो उसके द्वारा आन–लाइन तंत्र के माध्यम से मानीटर की जा सकेगी।

28. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन और उसके कृत्य.– (1) अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रीति से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को राय देने के लिए, राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में परिषद् के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन करेगी जो एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी।

(3) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् : –

(क) विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;
(ख) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं;
(ग) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;
(घ) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियो में से होगा;
(ङ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा, जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है;
(च) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे : –

(i) प्रारम्भिक शिक्षा के प्रभारी सचिव;
(ii) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर;
(iii) आयुक्त/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा; और
(iv) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(छ) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, परिषद् का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(4) परिषद् की एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

(5) परिषद् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगी।

(6) विद्यालय शिक्षा विभाग, परिषद् की बैठकों और उसके अन्य कृत्यों के लिए तर्क सम्बन्धी समर्थन उपलब्ध करायेगा।

(7) परिषद् के कार्य के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी : –

(क) परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष ठीक समझे, नियमित रूप से बैठक करेगी किन्तु उसकी पिछली और अगली बैठक के बीच तीन मास का अन्तर नहीं होगा।

(ख) परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारण से, अध्यक्ष परिषद् की बैठक में हाजिर होने में असमर्थ है तो वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए परिषद् के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति पूर्ण समझी जायेगी यदि उसके कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हैं।

(8) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी : –

(क) प्रत्येक सदस्य, उस तारीख, जिसको वह पद ग्रहण करता है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा किन्तु कोई सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए पद धारित नहीं करेगा।

(ख) कोई सदस्य, राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर या निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक या अधिक के होने पर, उसके पद से हटाया जा सकेगा : –

(i) न्यायनिर्णीत दिवालिया है;

(ii) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(iii) विकृतचित्त है;

(iv) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर निरंतर बने रहना लोकहित में हानिकारक है;

(v) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या

(vi) परिषद् से अनुपस्थिति की इजाजत अभिप्राप्त किये बिना परिषद् की दो लगातार बैठकों से अनुपस्थित है।

(ग) किसी सदस्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।

(घ) यदि सदस्यों के पद में, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति 120 दिन की कालावधि के भीतर नयी नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(ङ) परिषद् के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा समितियों, आयोगों के गैर–शासकीय सदस्यों, और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार शासकीय भ्रमणों और यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

भाग – 10
प्रकीर्ण

29. शंकाओं का निराकरण.– जहां इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो वहां मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

IndiaCode